न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 110/2016/(2016/00249) जिला–अजमेर

श्री सुखसागर पुत्र स्व0 श्री ब्रह्मानन्द जी जाति ब्रहम्ण उम्र 54 वर्ष, निवासी रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे वाली गली, विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे वाली गली, बिजयनगर तह0 बिजयनगर जिला अजमेर। **(फोत)**
   1/1 श्री सुमित कुमार शर्मा पुत्र श्री आननद सागर शर्मा वसीयत वारिस जाति ब्राहम्ण निवासी गुर्जर मोहल्ला विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।

2. श्री आनन्द सागर पुत्र स्व0 श्री ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राहम्ण निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे वाली गली, विजय नगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
3. श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व0 श्री ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीराम कुटीर 55/115 राजपथ मानसरोवर जयपुर (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसील मसूदा
6. सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश मसूदा
दिनांक 26–08–2016 अन्तर्गत अपील संख्या 07/2012
बउनवान श्रीमती रामेश्वरी देवी बनाम आनन्द सागर व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री गजेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक रेस्पोण्डेन्ट संख्या–1व 2

निर्णय

दिनांकः— 27.12.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 492 रकबा 5—06—10 किस्म चाही खसरा नम्बर 493 रकबा 0—2—10 किस्म चाही, खसरा नम्बर 494 रकबा 0—3—0 किस्म चाह/चाही कुल रकबा 5—12—00 पूरी आराजी खसरा संख्या 526 रकबा 7—4—0 किस्म बारानी वाके ग्राम नगर तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित है जो कि अपीलार्थी के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति ने अपने जीवनकाल में क्रय की थी तथा निजी लागत से तरकियात की व बिजली कनेक्शन एंव पम्प सेट स्थापित किया तथा अपने जीवनकाल तक उक्त आराजियात पर काबिज काश्त रहे उनके वारिसान में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तक वारिसान है। ब्रह्मानन्द का स्वर्गवास दिनांक 11—2—2003 को हो गया और उनके वारिसान की हैसियत से नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थीया संख्या 1 के नाम बहिस्से बराबर खोल दिया। प्रत्यर्थीया संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर तहसीलदार विजयनगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पुनः जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत कराने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—8—2016 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 9—11—2016 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। अपीलार्थी वृद्ध एवं बीमार व कम पढ़ा लिखा है तथा कानूनी रूप से जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक 9—11—2016 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय—समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा—5 के तहत

प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20–5–2010 जो अीपलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के बराबर हिस्सो में खोला गया जो कि दस्तावेजात देखकर ही खोला गया है और जो सही है। स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री ब्रह्मानन्द जी द्वारा एक वसीयत दिनांक 18–1–1985 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया था वह बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये पारित किया गया है जो गलत है। सरपंच ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी को प्रारम्भ से ही थी जिसकी सहमति भी उनके द्वारा दी थी जिसके कारण ग्राम पंचायत शिखरानी ने स्व0 रामेश्वरी देवी के हक में 1/4 हिस्सा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था जो सही था । उक्त आदेश के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायलय द्वारा बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये गलत तथ्यों के आधार पर विधिविरूद्ध तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 1 आनन्द सागर के पक्ष में 1/4 हिस्से का परित्याग कर दस्तावज का पंजीयन श्रीमती रामेश्वरी देवी द्वारा किया गया था। उस दस्तावेजात का भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भी एक वाद वसीयत को रद्द कराने के संबंध में विचाराधीन है इस तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायलय ने नजरअन्दाज कर दिया क्योंकि जब वसीयत ही विवादित है और उस वसीयत के निरस्तीकरण से संबंधित वाद विचाराधीन है तो उस वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अपील स्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1100 को निरस्त कर न्यायिक भूल की है। अपीलार्थी व स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया उस नामान्तरकरण के आधार पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–3 राज्य सरकार से मुआवजा राशि भी प्राप्त कर रहे है। जो वसीयत श्रीमती रामेश्वरी देवी के पक्ष में उसके पति स्व0 ब्रह्मानन्द द्वारा की गई थी वह वसीयत प्रारम्भ से ही विधिक रूप से सही नहीं थी क्योंकि उस वसीयत में खसरा नम्बर 1 व 2 पुश्तैनी थे जिसकी वसीयत विधि के तथ्यों के आधार पर नहीं की जा सकती और यदि की भी गई है तो वह निरस्त किये जाने योग्य थी।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी को नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी थी और ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा जब नामान्तरकरण खोला गया उस समय वह उपस्थित भी थी। स्व0 रामेश्वरी को यह भी जानकारी थी कि उसके पति ने वसीयत की है उसमें खसरा नम्बर के 1/2 नम्बर पुश्तैनी थे उसमें कुछ खसरा नम्बर पुश्तैनी थे उनके पति के खरीदशुदा नहीं थे । इस कारण वसीयत भी गैर कानूनी थी और इसी कारण ग्राम पंचायत शिखरानी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक

20—5—2010 स्वीकृत किया गया उस समय स्व0 श्रीमती रामेश्वरी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 जो अपीलार्थी व स्व0 रामेश्वरी देवी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में खोला गया था जो सही था क्योंकि स्व0 ब्राह्मानन्द जी के अपीलार्थी व स्व0 श्रीमती रामेश्वरी देवी एंव प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 विधिक वारिसान है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26—8—2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलर्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मौजा नगर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 05—06—10 व 493 रकबा 00—02—10 व 494 रकबा 00—03—00 कुल रकबा 05—12—00 बीघा किस्म चाही एवं खसरा नम्बर 526 रकबा 07—04—00 बीघा बारानी सहित सम्पूर्ण आराजी प्रत्यर्थी संख्या—1 के पति एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पिता तथा प्रत्यर्थी संख्या 1/1 के दादा स्व0 ब्रह्मानन्द जी की स्वअर्जित सम्पत्तियां है जिनमें उन्होंने कुंआ खुदवाया व अपने नाम विद्युत कनेक्शन लिया। स्व0 ब्रह्मानन्द ने उनके जीते जी दिनांक 18—1—1985 को प्रत्यर्थी संख्या—1 के हक में एक वसीयतनामा निष्पादित कर रूबरू गवाहान उपपंजीयक बिजयनगर के यहां दिनांक 18—1—1985 को ही पंजीयन करवा दिया था। श्री ब्रह्मानन्द की मृत्यु दिनांक 11—2—2003 को हो गई और उसके इन्तकाल का नामान्तरकरण 1100 दिनांक 20—5—2010 प्रत्यर्थीया रामेश्वरी देवी सहित प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 5 सरपंच ग्राम पंचायत से प्रत्यर्थी संख्या 2 ने लालचवश करवा लिया है जो वसीयतग्रहिता प्रत्यर्थीया संख्या—1 के हक अधिकारों के विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 जिसमें प्रत्यर्थीया संख्या—1 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि वसीयत अनुसार सम्पूर्ण आराजी में अकेले प्रत्यर्थीया संख्या—1 के नाम ही वसीयत दिनांकित 18—1—1985 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 की जानकारी होने पर प्रत्यर्थीया संख्या—1 ने उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष अपील की जिसे उन्होंने स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20—5—2010 को निरस्त कर प्रकरण में पुनः जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान किये गये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने पौत्र अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1/1 श्री सुमित कुमार शर्मा पुत्र आनन्द सागर शर्मा (जो कि प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या—2 का पुत्र है) के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात बाबत वसीयत दिनांकित 16—11—2012 को निष्पादित की गई है जो आज भी विद्यामान है और जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने बाबत कोई दस्तावेज रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात स्व0 ब्रह्मानन्द की स्वअर्जित एवं पुश्तैनी आराजियात थी। स्व0 ब्रह्मानन्द द्वारा अपनी पत्नी पत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती रामेश्वरी देवी के नाम की गई पंजीकृत वसीयत दिनांक 18–1–1985 में विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 492 रकबा 05–06–10 किस्म चाही, खसरा नम्बर 493 रकबा 0–02–10 किस्म चाही, खसरा नम्बर 494 रकबा 0–3–0 किस्म चाही कुल रकबा 05–12–00 का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उनके द्वारा इस सम्पत्ति के स्वअर्जित होने का भी उल्लेख किया गया है। कोई भी खातेदार आसामी द्वारा स्वअर्जित आराजियात की तो वसीयत की जा सकती है किन्तु पुश्तैनी आराजियात जिसमें अन्य वारिसों का भी हक निहित हो, की वसीयत नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजियात वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति होना स्पष्ट है।

श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सुखसागर शर्मा (सुखसागर प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी है) द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बिजयनगर जिला अजमेर में एक वाद संख्या 23/2012 (सीआईएस नम्बर 74/2014) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सुशील कुमार बनाम सुमित कुमार में दीवानी प्रकिया संहिता वास्ते वाद में संस्थित प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18–1–1985 व वाद में संस्थित प्रतिवादी संख्या 1 (प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या 3) के पक्ष में निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 28–1–2005 निरस्त किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बिजयनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–10–2018 द्वारा खारिज किया गया है।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का दौराने बहस यह भी कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने पौत्र अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1/1 श्री सुमित कुमार शर्मा पुत्र आनन्द सागर शर्मा के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात बाबत वसीयत दिनांकित 16–11–2012 को निष्पादित की गई है जो आज भी विद्यामान है और जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने बाबत कोई दस्तावेज रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्व0 ब्रहमानन्द द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की अपनी पत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी (प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या–1) के पक्ष में

निष्पादित वसीयत आज भी प्रभाव में है जिसको निरस्त कराये जाने हेतु श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सुखसागर शर्मा द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती भी दी गई है जिसे सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बिजयनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–10–2018 द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पुनः जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिजयनगर को आदेश दिये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–08–2016 अन्तर्गत अपील संख्या 07/2012 बउनवान रामेश्वरी देवी बनाम आनन्द सागर व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: